राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

अति–आवश्यक

क्रमांक–ई0ओ0सी0 / सहा0 / 2025 / 28 दिनांक 3 / 01 / 2025

प्रेषितिः–
श्रीमान संयुक्त शासन सचिव,
आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
राजस्थान जयपुर

विषयः–मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़को की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना की वित्तीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु बजट मांग के संबंध में।

प्रसंगः– श्रीमान की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 1207339 दिनांक 30.11.2024 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मानसून वर्ष 2024 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों / पुलों की तात्कालिक अस्थाई मरम्मत एवं पुनर्स्थापना स्वीकृति प्राप्त होने पर इस कार्यालय की प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक 1038 दिनांक 10.12.2024 से जारी की गई है, जिसके क्रम में सानिवि से तकमीना प्राप्त हुआ है, जिसके क्रम में 182 सड़को की राशि 297.88 लाख रू. एवं 30 पुलियाओं की राशि 18.00 लाख रू. की बजट की आवश्यकता है।

विगत दिवसों में विभागीय पार्टल (डीएमआईएस) चालु नहीं होने के कारण ऑनलाईन बजट मांग नहीं हो पा रही है, इस क्रम में उक्त बजट राशि 315.88 लाख रूपये का बजट आवंटन करने की व्यवस्था फरमावें, ताकि वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर कार्यो को प्रारम्भ करवाया जा सके।

संलग्नः–प्रशासनिक स्वीकृति

(सत्यनारायण आमेटा)
अति0 जिला कलक्टर
झालावाड़

क्रमांक / ई0ओ0सी0 / सहा0 / 2024 / 29 दिनांक 3 / 01 / 2025

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर।

अति0 जिला कलक्टर
झालावाड़

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2024/1038 दिनांक 10/12/2024

–: प्रशासनिक स्वीकृति :–

शासन संयुक्त सचिव, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/12073939 दिनांक 30.11.2024 से प्राप्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति–संख्या के अनुसार सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के क्षतिग्रस्त होने पर सा0नि0वि0 झालावाड़ के कुल 212 कार्यो को स्वीकृत किया गया है। जिसके अनुसरण में निम्नानुसार के तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) से प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

सड़को हेतु (राशि लाखों में)

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक अकलेरा	81	129.26
2	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक मनोहरथाना	65	114.67
3	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन	14	25.85
4	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड खानपुर तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन	22	28.10
	कुल योग	**182**	**297.88**

पुलियाएं हेतु

क्र.स.	विभाग का नाम	कार्यो की संख्या	राशि
1	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक अकलेरा	01	0.60
2	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक मनोहरथाना	19	11.40
3	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन	06	3.60
4	अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड खानपुर तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन	04	2.40
	कुल योग	**30**	**18.00**

कुल 182 सड़क कार्यो हेतु राशि रूपये 297.88 लाख रू. एवं कुल 30 पुलिया कार्यो हेतु राशि 18.00 लाख रू., सड़को व पुलो के कुल 212 कार्यो हेतु राशि 315.88 लाख रुपये (अक्षरे:– तीन करोड़ पन्द्रह लाख अठयासी हजार रू. मात्र) की तात्कालिक मरम्मत हेतु राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से स्वीकृति निम्न शर्तो के अध्यधीन एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:–

1. विभाग द्वारा प्रति किमी. की दर से राशि का निर्धारण एसडीआरएफ नॉर्म्स अनुसार किया है। अतः सा.नि.वि. उन दरों से अधिक राशि का उपयोग सड़को के रेस्टोरेशन पर न करें।
2. प्रस्ताव उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है।
3. विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यो के लिए बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार निर्धारित दर से गणना किये जाने के उपरान्त ऑनलाईन विभाग से करें।
4. बजट संबंधित कार्यकारी संस्था को न दिया जाकर जिला कलक्टर स्तर से ही भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

5. वे सड़के जो Defect Liability Period के तहत आती है, उनकी मरम्मत एसडीआरएफ से देय नही है।
6. बजट ऑन–लाईन मांग किये जाने से पूर्व यह आश्वस्त कर लेवें कि बजट की मांग एसडीआरएफ नोर्म्स के अन्तर्गत Ordinary Repair & Periodical Repaor (15/20 प्रतिशत) के तहत अनुमत राशि से गणना करने के उपरान्त ही कुल राशि की मांग की जा रही है। राज्य आपदा मोचन निधि के मापदण्डों के अनुसार क्षतिग्रस्त सड़को के रेस्टोरेशन हेतु आपदा प्रबधंन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देश क्रमांक 8981275 दिनांक 16.07.2024 द्वारा गणना की जावे।
7. कार्यकारी ऐजेन्सी की यह पूर्ण जिम्मेदारी होगी की वे एसडीआरएफ में अनुमत कार्य ही करवाया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनकी पूणतः जिम्मेदारी रहेगी।
8. कार्यकारी ऐजेन्सी स्वीकृत कार्यो को प्रारम्भ किये जाने की दिनांक से 30 दिवस में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें, ताकि तत्कालिक मरम्मत का उद्देश्य पूर्ण हो सके।
9. उपखण्ड स्तरीय समिति के निरीक्षण उपरान्त यह रिपोर्ट भुगतान किये जाने से पूर्व अवश्य प्राप्त कर लेवें कि कार्य एसडीआरएफ मापदण्ड एवं प्रावधान अनुसार ही कराया गया है।
10. प्रस्ताव में दर्शायी गई वर्षा की मात्रा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति की अनुशंषा पर सिचाई विभाग के अधिकारियों से प्रमाणित करवाये जावें। क्षति का मुख्य कारण बाढ़ अथवा अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ जैसी स्थिति होना है, इसका प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के प्रतिनिधी से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
11. स्वीकृत कार्य निर्धारित अवधि व आवंटित बजट का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु नियमानुसार अल्पकालीन निविदाएं आमंत्रित कर कार्य कराये जा सकेगें।
12. स्वीकृत अनुदान राशि का व्यय करने हेतु लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा योजना के दिशा–निर्देश तत्सम्बन्धी नियम/निर्देश व निर्धारित प्रक्रिया की पालना सुनिश्चित की जावें।
13. निजी निक्षेप खाते से राशि का आहरण वास्तविक आवश्यकता के अनुसार निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये ही की जावें। बैंक खाते में हस्तान्तरण या अन्य प्रकार से विनियोजित किये जाने हेतु राशि का निजी निक्षैप खाते में आहरण नही किया जावेगा।
14. निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरित राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जावें। अनुपयोगी राशि यदि कोई हो तो दिनांक 31.03.2025 तक राजकोष में जमा करवायी जावें।
15. कार्य पूर्ण करवाये जाने के पश्चात् कार्यो का र्का पूर्णतः प्रमाण पत्र इस कार्यालय को प्रेषित करें।
16. व्यय के लेखे महालेखाकार कार्यालय एवं राज्य सरकार के निरीक्षण के लिये कार्यालय में अभिलेख सुरक्षित रखे जावें।
17. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग से स्वीकृत कार्यो का तखमीना तैयार कर यथाशीघ्र आवश्यक रूप से इस कार्यालय में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके उपरान्त ही सहायता विभाग से बजट मांग की जा सकेगी।
18. बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय मे प्रस्तु करने पर बिलों के साथ कार्य आरम्भ होने से पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात् जिओ टेग के साथ प्रथक–प्रथक फोटोग्राफ संलग्न करना सुनिश्चित करें।
19. आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशो एवं परिपत्रों की पालना की जावें।

(अजय सिंह राठौड़)
जिला कलक्टर
झालावाड

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

क्रमाक एफ 03( )/13/आ.मो.नि./सहा./2024/1039 दिनांक 10/12/2024

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्रीमान शासन संयुक्त सचिव महोदय आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग जयपुर की स्वीकृति क्रमांक एफ.8(32)आ.प्रएवं.सहा./बाढ़/प्रस्ताव/2024/12073939 दिनांक 30.11.2024 के क्रम में।
2. वित्तिय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
3. अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 झालावाड, को प्रेषित कर लेख है कि सानिवि. खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक अकलेरा के पुलिया मरम्मत प्रस्तावों में कार्यो के क्रम संख्या 01 पर अंकित कार्य में वर्षा की दिनांक 12.08.2024 के आंकड़े सही है तथा शेष कार्यो के दिनांक 05.08.2024 को अत्यधिक वर्षा नहीं होने के कारण अस्वीकृत किया गया है। अतः 01 कार्य हेतु नोर्म्स अनुसार 0.60 लाख रू. स्वीकृत किये गये है।

   अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील व ब्लॉक मनोहरथाना, अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड अकलेरा तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन एवं अधीक्षण अभियंता सानिवि वृत्त झालावाड़ खण्ड खानपुर तहसील असनावर ब्लॉक झालरापाटन के पुलिया मरम्मत के प्रस्तावों में कुल 29 कार्यो हेतु राशि रू. 292.70 लाख रूपये की मांग की गई है जो नोर्म्स से अधिक है। नोर्म्स अनुसार राशि की गणना करने पर राशि रू. 0.60 लाख रू. प्रति पुलिया के अनुसार कुल 29 कार्यो हेतु राशि 17.40 लाख रूपये स्वीकृत किये गये है।
4. अधीक्षण अभियंता जल संसाधन विभाग झालावाड़।
5. कोषाधिकारी कोष कार्यालय झालावाड़।
6. प्रभारी अधिकारी लेखा अनुभाग स्थानीय कार्यालय।
7. अधिशासी अधिकारी सा0नि0वि0 समस्त.............
8. रक्षित पत्रावली।

~~अति0~~ जिला कलक्टर
झालावाड